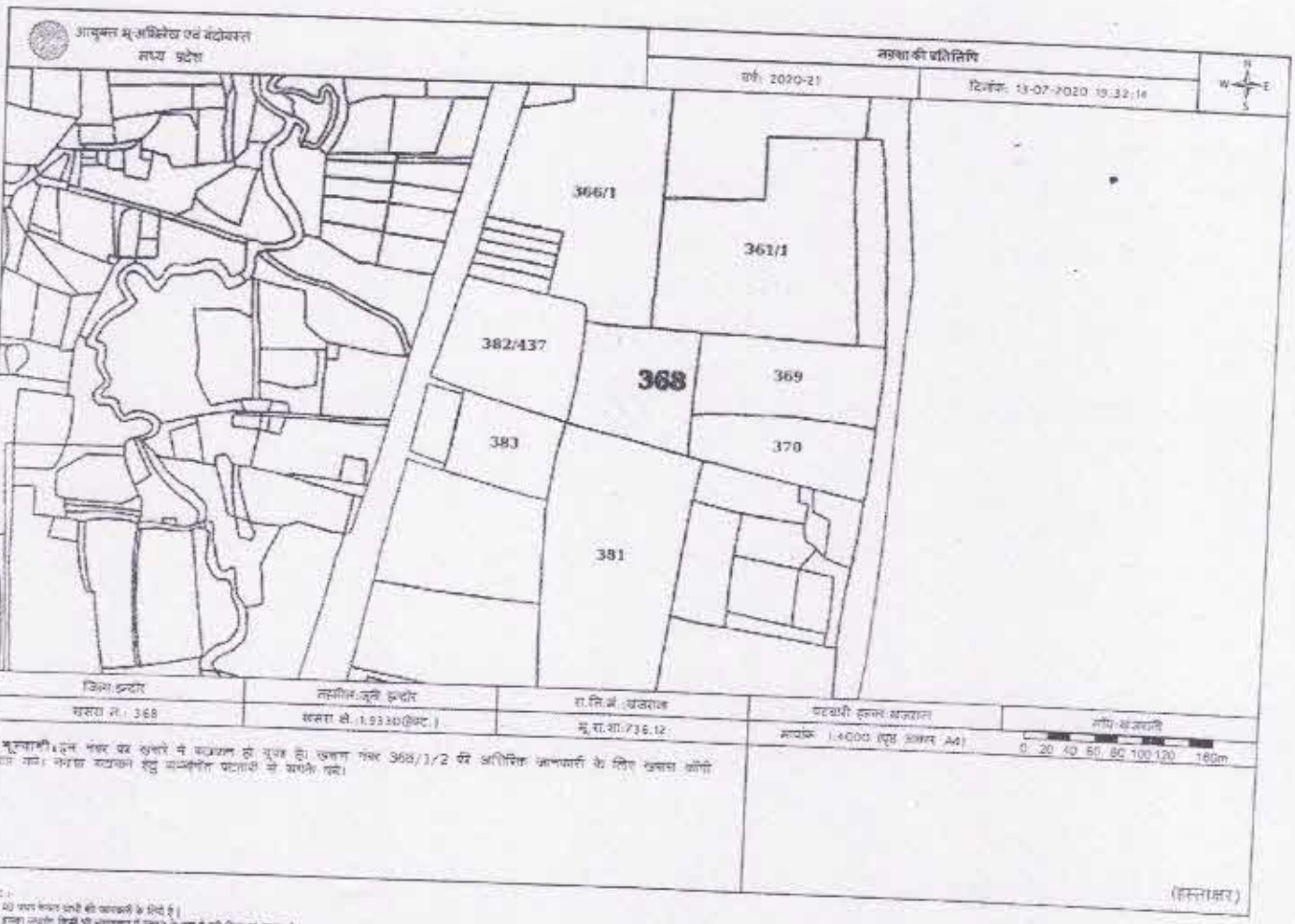

आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त
मध्य प्रदेश

नक्शा की प्रतिलिपि

वर्ष: 2020-21 | दिनांक: 13-07-2020 13:32:14

जिला:इन्दौर	तहसील:जूनी इन्दौर	रा.नि.मं.:खजराना	पटवारी हल्का:खजराना	नाप-मापनी
खसरा नं.: 368	रकबा: 1.9330(हेक्टे.)	भू.रा.शा.:736.12	मापक: 1:4000 (पृष्ठ आकार A4)	0 20 40 60 80 100 120 160m

भू-स्वामी: इस नंबर पर खसरे में बटांकन हो चुका है। खसरा नंबर 368/1/2 की अतिरिक्त जानकारी के लिए खसरा [illegible] [illegible] नक्शा [illegible] हेतु [illegible] पटवारी से संपर्क करें।

(हस्ताक्षर)

नोट:
1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी इंदौर - सांवेर

रा० प्र० क्रमांक १२८।अ-२
७६-७७.

आवेदक - अशोक भाई पटेल,
निवासी २८, मेनरोड, जुनीगंज, इंदौर

आदेश

([illegible])

यह प्रकरण आवेदक अशोक भाई पटेल निवासी २८, मेन रोड, जुनीगंज इंदौर के आवेदन पत्र २०-८-६२ के आधार पर स्थापित किया गया है। आवेदक ने म०प्र० भू०रा० संहिता १९५९ की धारा १७२ के अन्तर्गत ग्राम अजनोद के ख. नं. ३६७, ३६८ एवं ३६९ कुल रकबा १२.२८ पैकी ४.६१ एकड़ भूमि को कृषि भिन्न आवास उद्योग में परिवर्तन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण में अधीक्षक भूमि परिवर्तन शाखा के जाँच प्रतिवेदन अनुसार तत्कालिन अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक १६-१-७८ के अनुसार ख. नं. ३६७, ३६८ एवं ३६९ कुल रकबा ४.६१ पर वार्षिक पुनर्निर्धारण ६०४०=वर्ष १९७९-८० से तथा प्रीमियम २३०५-०० निर्धारण किया था। किन्तु इस आदेश से असंतुष्ट होकर आवेदक ने प्रथम अपील अतिरिक्त कलेक्टर इंदौर को [illegible] ... [illegible] अधिकारी (डिप्टी कलेक्टर) को भूमि [illegible] के प्रकरण में आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। [illegible] अतिरिक्त कलेक्टर के निर्णय दिनांक १२-६-६६ द्वारा [illegible] की जाने पर आवेदक ने द्वितीय अपील अतिरिक्त आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के न्यायालय में प्रस्तुत की जिस पर न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार की जाकर उक्त अधिनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त कर प्रकरण इस न्यायालय को [illegible] आदेश के साथ भेजा है कि अपीलांट को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाकर प्रकरण के गुण दोष पर [illegible] विधिवत् आदेश देवें।

प्रकरण में आवेदक को पुनः रूप से सुनवाई का अवसर दिया गया जिसमें इसने न्यायालय में दिनांक १५-३-८६ को उपस्थित

..२

होकर ऐसी बहस प्रस्तुत की, बहस के अवलोकन से प्रगट है कि आवेदक का मूल उद्देश्य कक्षा के चरण ६ के अनुसार भू परिमाप तथा बन्दोबस्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक ६६६।५६२।बाठ।६२ दिनांक १९-४-१९६२ में स्वीकृत रियायती दर से भू भाटक देने की पात्रता आती है। क्योंकि आवेदक म०प्र० शासन विद्युत मंडल के लिये विद्युत पोल का निर्माण करता है, और जिसके संबंध में संचालक उद्योग विभाग द्वारा उनके पत्र क्रमांक नं राछेन्द्र।२०।५९ इंदौर दिनांक २९-१०-५९ द्वारा इस न्यायालय को उद्योग हेतु स्वीकृति दिये जाने की सिफारिश की है।

अतएव राजस्वपरिपत्र ४-६ की परिशिष्ट १ में अवर सचिव भू परिमाप एवं बन्दोबस्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक ७४०।१४८१।अ।६४ दिनांक २-३-७५ का प्राप्त होने से शासन आदेशानुसार ख नं ३६१,३६८, एवं ३६६ कुल रकबा ४.६२ भूमि पर रियायती दर १६०-०० प्रति एकड़ की दर ४.६१ एकड़ भूमि पर वार्षिक पुनर्निर्धारण ७३७-६० अंकन सातसौ सैंतीस रुपये साठ पैसे वर्ष १९६२-६३ से देय होगा।
इसके अतिरिक्त प्रीमियम १६००-०० प्रति एकड़ की दर से ७३७६-०० अंकन सात हजार तीन सौ छियत्तर रुपये शासन को जमा करना होगा।

चूंकि शासन का उद्योग कार्य हेतु रियायती दर का ज्ञापन दिनांक १९-४-६२ में प्राप्त हुआ है और आवेदक द्वारा भूमि परिवर्तन वर्ष १९५९ के पूर्व का बतलाया है। अतएव वर्ष १९५९-६० से १९६१-६२ तक का भूमि परिवर्तन पुर्ननिर्धारण ९०४०-०० अंकन - - - - नौ हजार चालीस रुपये प्रति वर्ष की दर से पुर्नानुसार ही देना होगा।

आदेश पारित किया गया। आवेदक को सूचित किया जाकर प्रकरण अधीक्षक भूमि परिवर्तन शाखा को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

(हस्ताक्षर)
[illegible]
अनुविभागीय अधिकारी
अनु. विभाग [illegible] इंदौर